न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 183/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. धर्माराम पुत्र भैराराम मेघवाल 2. अचलाराम पुत्र भैराराम मेघवाल 3. ओमप्रकाश पुत्र दुर्गाराम जाट निवासी– ग्राम चौखला तहसील बायतू जिला बालोतरा।		1. धर्मी पत्नी धर्माराम 2. जोगाराम पुत्र उगराराम 3. ईमियों पत्नी गोकलाराम 4. गोकलाराम पुत्र पांचाराम 5. भीयाराम पुत्र इन्दाराम 6. मोहनराम पुत्र सुरताराम 7. गोरधनराम पुत्र हरदानराम 8. उगराराम पुत्र गोरधनराम 9. चैनाराम पुत्र हरदानराम 10. सताराम पुत्र जुगताराम 11. भोमाराम पुत्र सागराराम मेघवाल 12. भीखों पत्नी शेराराम 13. हिम्मतकुमार पुत्र भैराराम जाति–जाट निवासी–ग्राम खान जी का तला, तहसील बायतू जिला बालोतरा 14. होथी पुत्र राणाराम 15. लाधूराम पुत्र राणाराम 16. मांगाराम पुत्र गोकलाराम 17. भींयाराम पुत्र गोकलाराम 18. जगराम पुत्र भैराराम 19. चौखाराम पुत्र भैराराम 20. जैसाराम पुत्र भैराराम मेघवाल 21. तनसिंह पुत्र दौलतसिंह 22. हिन्दूसिंह पुत्र दौलतसिंह 23. बख्तावरसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत निवासीगण–ग्राम चौखला तहसील बायतू जिला बालोतरा। 24. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बायतू, जिला-- बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.02.2023 जो उपखण्ड अधिकारी बायतू द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 235/2023 अनवान हरआम खास बनाम ओमप्रकाश वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता, रेस्पा0 संख्या 2 ता 13 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया, राज.अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 24 की ओर से।
4– रेस्पो. संख्या 1 एवं 14 तो 23 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2024

अपीलान्टस के द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 235/2023 अनवान हरआम खास बनाम ओमप्रकाश वगैराह में पारित आदेश 13.02.2023 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.07.2023 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2023 में यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है। मौके पर पत्थरगढी व सीमाकंन हेतु अपीलार्थीगण को बेदखल करने की धमकी रेस्पोडेन्टस द्वारा दी गई व कहा गया कि उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है, तब अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 27.06.2023 को नकल प्राप्त की। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की जानकारी तब प्रथम बार अपीलार्थी को हुई है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की गई है। अतः अपील में हुई देरी को माफ करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 13 के द्वारा दिनांक 23.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम करणपुर, तहसील बायतू के ख0सं0 181 रकबा 0.5501 हैक्टर भूमि आबादी में आया हुआ है। उक्त खसरे के पडौस में अपीलार्थीगण व अन्य रेस्पोडेन्टस के खेत आये हुए है। उपरोक्त खसरा भूमि के सेढा पर पक्की माठ या सीमाचिन्ह नहीं होने से बरसात के दौरान पडौसीगण द्वारा खेत की सीमाओं व कणे माठ को खुर्द–बुर्द करते रहते है और कब्जा व काश्त कर लेते है। अतः उक्त खेत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरे की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये परन्तु उक्त नोटिस सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर ख0सं0 181 की पत्थरगढी किये जाने के दिनांक 13.02.2023 को आदेश पारित कर दिये गये जो कि विधि अनुकूल नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है तथा बिना तरमीम के ही पारित किया गया है जबकि बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखमबन्दी नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राजस्व नक्शे के अनुसार भी तरमीम की जाना आवश्यक होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश पारित नहीं किया है। राजस्व न्यायालय को आबादी भूमि के खसरान भूमि की तरमीम अथवा पत्थरगढी बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की भी अनदेखी करते हुए आदेश पारित कर दिया गया है, इस आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त पत्थरगढी की आड में कब्जे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जबकि प्रत्यर्थीगण कब्जे में परिवर्तन करना चाहते है। अपीलार्थीगण को जारी किये गये नोटिस सही पते पर नहीं भेजे गये थे, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 01 से 13 ग्राम पंचायत चौखला के निवासी ही नहीं है तथा न ही इनका उक्त भूमि से कोई लेना देना है। कुछ अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति भी पेश की गई थी लेकिन प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उनको सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका। अपीलार्थीगण ख0सं0 175, 177, 162/176 के खातेदार काश्तकार है तथा गांव की आबादी भूमि पर ग्रामवासियों का ही अधिकार है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपना उल्लू सीधा करने की नियत से पुराने गांव चौखला के ख0सं0 181 में पटटा दिलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिससे भी यह साबित होता है कि रेस्पोडेन्टस दूसरे ग्राम के निवासी है यानि ग्राम पंचायत खानजी का तला के निवासी है, उनका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उनको ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तत्कालीन सरपंच एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त आबादी भूमि के पटटे प्राप्त किये जाने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2022 को प्रस्तुत करते हुए पत्थरगढी/नेखमबन्दी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है, वह विधि अनुसार सही नहीं था और अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थीगण को नोटिस गलत पर पते जारी किये गये थे तथा तामील सम्यक रूप से नहीं करवाई गई थी, ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2023 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 2 ता 13 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया गया है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 13 के द्वारा दिनांक 23.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया था कि ग्राम करणपुर, तहसील बायतू के ख0सं0 181 रकबा 0.5501 हैक्टर भूमि आबादी में आया हुआ है। उक्त खसरे के पडौस में अपीलार्थीगण व अन्य रेस्पोडेन्टस के खेत आये हुए है। उपरोक्त खसरा भूमि के सेढा पर पक्की माठ या सीमाचिन्ह नहीं होने से बरसात के दौरान पडौसीगण द्वारा खेत की सीमाओं व कणे माठ को खुर्द–बुर्द करते रहते है और कब्जा व काश्त कर लेते है। अतः उक्त खेत खसरे की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये जिसमें से अपीलान्ट संख्या 3, रेस्पो0 संख्या 15, 16, 18, 20 एवं 23 के द्वारा अपनी उपस्थिति दी गई और अपनी आपत्ति पेश की गई। उक्त आपत्तियां प्रस्तुत होने के पश्चात अप्रार्थीगण यानि वर्तमान अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रकरण में रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम करणपुर के ख0सं0 181 रकबा 0.5501 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु किये जाने हेतु दिनांक 13.02.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 2 ता 13 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया गया है कि उक्त खसरान भूमि आबादी भूमि अवश्य है परन्तु वे पत्थरगढी नहीं होने तथा सीमाचिन्ह सही नहीं होने से ग्रामवासियों/अतिक्रमणकारियों से उक्त

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरान भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक था, इस कारण से उक्त खसरा भूमि के सभी पडौसी खातेदारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया एवं उनको अपना पक्ष रखने का व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये थे परन्तु कुछ पक्षकार के द्वारा पत्थरगढी नहीं किये जाने हेतु आपत्ति पेश की गई थी परन्तु पत्थरगढी क्यों नहीं करवाना चाहते थे, यह आपत्ति पत्र में कही भी अंकित नहीं किया गया था। ऐसे में अपीलान्टस की प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं सारहीन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है जो अस्वीकार करने योग्य है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली भूमि की सुरक्षा का दायित्व ग्राम पंचायत का ही होता है और उस अधिकार के तहत ही ग्राम पंचायत की ओर से वार्डपंचों एवं अन्य व्यक्तियों के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया गया था जिसें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुकूल एवं धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए स्वीकार कर तहसीलदार बायतू को पत्थरगढी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2023 को यथावत रखा जाकर अपीलान्टस की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन व अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 13 के द्वारा दिनांक 23.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ग्राम करणपुर, तहसील बायतू के ख0सं0 181 रकबा 0.5501 हैक्टर भूमि आबादी में आया हुआ है। उक्त खसरे पर अतिकमी कब्जा व काश्त कर लेते है। अतः उक्त खेत खसरे की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त ख0सं0 181 की रकबा भूमि की पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2023 को आदेश पारित किया गया है। अपीलान्टस ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से इस तथ्य की पृष्टि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

होती है। किसी प्रभावित खातेदार/काश्तकार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के मध्यनजर अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। कुछ खातेदारान के भी द्वारा अपनी आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना स्पष्ट होता है। ऐसे में हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने के उपरान्त नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बायतू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 13.02.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे "उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।" निर्णय आज दिनांक 23 दिसम्बर,2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर